न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (UID No. RJ 00152)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 142/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 59/2026, आरक्षी केन्द्र बालोतरा
CNR : RJBA010005722026

हड़मतदान उर्फ हड़वंतदान पुत्र महेशदान, उम्र 20 वर्ष, निवासी बोर चारणान, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बाडमेर ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2026, पुलिस थाना बालोतरा, अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमसिंह, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 01.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूँठा संलिप्त किया है । प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है अपितु मोटरसाईकिल थाना परिसर देवनगर (जोधपुर वेस्ट) से धारा 106 बीएनएसएस में जब्त किया गया था जिसे इस प्रकरण में जब्त किया है । यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध

पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है । प्रार्थी दिनांक 18.03.2026 से अभिरक्षा में है । सहअभियुक्त सजन उर्फ सज्जनसिंह का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला उससे गंभीर प्रकृति का नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में अभी समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्त सजन उर्फ सज्जनसिंह के साथ मिलकर मोटरसाईकिल चोरी करने के अपराध का आरोप है । प्रार्थी की सूचना के आधार पर, मोटरसाईकिल को थाना परिसर देवनगर, से जो धारा 106 बीएनएसएस में जब्त किया गया था, को बरामद भी किया है । प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त हड़मतदान उर्फ हड़वंतदान का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	पुलिस थाना	धारा	नतीजा	वर्तमान स्थिति
1	64/2026	देवनगर, जिला जोधपुर	303(2) बीएनएस	जैर तफ्तीश	मुलजिम न्यायालय से जमानत पर
2	18/2026	बालोतरा	303(2) बीएनएस	जैर तफ्तीश	–

5. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर मोटरसाईकिल चोरी के अपराध का आरोप है । प्रार्थी दिनांक 18.03.2026 से अभिरक्षा में है । पूर्व की दोषसिद्धि नहीं है । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । सहअभियुक्त सजन उर्फ सज्जनसिंह का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला उससे गंभीर प्रकृति का होना नहीं पाया जाता है । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त हड़मतदान उर्फ हड़वंतदान की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की मौतबीर जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

7. आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.04.07 16:00:30 +0530